न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या

14 / 2026

श्री खुशहाल सैनी पुत्र गणपत लाल सैनी निवासी निवाई दरवाजा पुरानी टोंक हाल शिवाजी कॉलानी गली नं. 17 निवाई जिला टोंक —अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1. विधुत विभाग टोंक द्वारा फूला देवी w/o रामपाल सैनी को जो विद्युत / बिजली कनेक्शन (के. नंबर 211311014283) दिया गया है उस कनेक्शन के लिए आवेदक फूला देवी w/o रामपाल सैनी ने जो दस्तावेज (Document) लगाये है उन सभी दस्तावेजों का विवरण (Detail) / सूचना दे।

2. कनेक्शन आवेदक फूला देवी w/o रामपाल सैनी ने विद्युत कनेक्शन के लिए जो दस्तावेज (Document) लगाये है उन सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपिया (Photocopy) सूचना में संलग्न (attach) करे।

3.आवेदक फूला देवी w/o रामपाल सैनी ने जिस श्रेणि (APL/BPL) में बिजली कनेक्शन लिया उसका विवरण (Detail) दे।

4. बिजली बिल की प्रमाणित प्रतिलिपि (photocopy) भी संलग्न (attach) करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 180 दिनांक 03.02.2026 व 313 दिनांक 19.02.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 72 दिनांक 13.02.2026 से जवाब प्रति प्रेषित किया है कि अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध अधीक्षण अभियन्ता, जेवीवीएनएल, टोंक कार्यालय से होने से उनके पत्र कमांक 1197 दिनांक 15.12.2025 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 1198—1199 दिनांक 15.12.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता, जेवीवीएनएल, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट अधीक्षण अभियन्ता, जेवीवीएनएल, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अत: अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

818

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक